दिनांक–22.09.2015 को सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–संलग्न सूची के अनुसार।

कार्यवाहीः–

सर्वप्रथम सचिव अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित सभी उप निदेशक कल्याण, सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा विधिवत् एजेंडा की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1– **लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र :–**

पूर्व के बैठकों में यह निर्देश दिया गया था कि ए0सी0/डी0सी0 विपत्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र को महालेखाकार से समायोजित कराकर प्रतिवेदन 02 सितम्बर, 2015 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाय। परन्तु दिये गये निर्देशों का अनुपालन जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। इतने संवेदनशील मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाना अत्यन्त खेदजनक है। जिन–जिन जिलों में अभी तक ए0सी0/डी0सी0 विपत्र से संबंधित अत्यधिक मामले लंबित हैं, वे जिले हैं–प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, नवादा, पूर्णिया, मुंगेर, सारण, मधुबनी, पटना, सीतामढ़ी, बांका एवं अररिया। उपरोक्त सभी जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारियों को चेतावनी दी गई कि 15 दिनों के अन्दर ए0सी0/डी0सी0 मामलों का निष्पादन नहीं किया जाता है तो विभाग उनपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

समीक्षा के क्रम में प0 चम्पारण, पटना, मुजफ्फपुर, पूर्वी चम्पारण, सुपौल, नालन्दा एवं अन्य जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित थे और उनके द्वारा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी। पटना, मधुबनी, नालन्दा, समस्तीपुर, खगड़िया जिलों द्वारा बताया गया कि कुछ विपत्र अभी प्रखंडों में लंबित है, अभी तक प्रखंड से रिपोर्ट नहीं आया है, जिसके कारण समायोजन की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। निर्देश दिया गया कि स्वयं पहलकर प्रखंडों से प्रतिवेदन प्राप्त करें एवं समायोजन कराना सुनिश्चित करें। कटिहार, रोहतास, शिवहर, शेखपुरा आदि जिलों द्वारा 15 दिनों के अन्दर ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के लंबित विपत्रों को समायोजन कराकर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि यह राशि सिर्फ वित्तीय वर्ष 2012–13 का है। वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 की राशि भी वित्त विभाग से प्रतिवेदित कर दिया गयाा है। अगर उसे जोड़ दिया जाए तो काफी मात्रा में राशि बढ़ जाएगी। जिन–जिन जिलों में उक्त मामलें अभी तक लंबित हैं, उन्हें निदेश दिया गया कि एक अभियान चलाकर उक्त सभी विपत्रों को समायोजित कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालनः–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

2– **<u>लंबित विभागीय कार्यवाही, सेवांत लाभ, कोर्ट केसेज</u> :–**

समीक्षा के कम में पाया गया कि मुख्यालय स्तर पर सेवांत लाभ के 07 मामले अंतिम निष्पादन हेतु लंबित चला आ रहा है। शेखपुरा, मुंगेर, सारण, भोजपुर, औरगांबाद जिलों में सेवांत लाभ के कई मामले बहुत दिनों से लंबित है। सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर सेवांत लाभ के मामलों को निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के कम में पाया गया कि राजपत्रित पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के मामले बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा है, जिसके कारण पदाधिकारियों को अनावश्यक रूप से कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके संबंध में सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि लंबित विभागीय कार्यवाही का त्वरित निष्पादन करते हुए प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

साथ ही उप निदेशक (कल्याण), जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लंबित सेवांत मामले, कोर्ट केसेज एवं विभागीय कार्यवाही की समीक्षा अपने–अपने स्तर पर महीना में एक दिन अवश्य करें एवं कार्यवाही की प्रति मुख्यालय को भी दें।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

3– **<u>आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में सामानों की आपूर्ति</u>:–**

विगत मासिक बैठक में सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों एवं उप निदेशक, कल्याण को छात्रावासों में सामग्री पूर्तियाँ एवं कम्प्यूटर लैब स्थापित करने हेतु प्रपत्र I एवं II उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, परन्तु जिला कल्याण पदाधिकारी, गया, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, मुजफ्फपुर, शेखपुरा, मधेपुरा, बांका, प0 चम्पारण, कैमूर, जमुई, लखीसराय, अरबल, अररिया, पूर्णिया, औरंगाबाद, किशनगंज एवं भागलपुर के द्वारा सभी संचालित छात्रावासों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। सचिव द्वारा एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण को अपने स्तर से मामले का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

छात्रावासों के जीर्णोद्वार एवं संचालन से संबंधित प्रपत्र I एवं II उपलब्ध कराते हुए कार्यरत/अकार्यरत छात्रावासों के संबंध में विहित प्रपत्र में विभागीय ई–मेल पर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में छात्रावासों के संधारण हेतु विभाग के द्वारा निर्गत आवंटनादेश के विरूद्ध किसी भी जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा राशि की निकासी नहीं की गयी है। सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राशि की निकासी कर आवंटनादेश में उल्लेखित मदों में नियमानुकूल व्यय कर, व्यय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

आवासीय विद्यालयों में सामग्री आपूर्ति के संबंध में मोतिहारी जिला द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ के0 डी0 इन्टरप्राइजेज को सामग्री वितरण हेतु नामित किया गया था, परन्तु इसके द्वारा अभी तक वस्त्र वितरित नहीं किया गया है। उसी प्रकार खगड़िया, कैमूर, जहानाबाद, गया, पूर्णिया,

लखीसराय, अरवल, भोजपुर आदि जिलों द्वारा बताया गया कि अभी तक नामित आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गयी है। बैठक में उपस्थित आपूर्त्तिकर्त्ता के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर आवासीय विद्यालयों में सामग्री की आपूर्ति कर दी जायेगी। पुनः सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आवासीय विद्यालय के छात्रों के लिए आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई सामग्री को छात्रों के बीच किए गए वितरण की सूची एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालनः– जिला कल्याण पदाधिकारी / प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण)

4– <u>प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति :–</u>

समीक्षा के कम में उप निदेशक (मु0) द्वारा बताया गया कि अभी तक बहुत जिलों से विहित प्रपत्र एवं सी0डी0 में जिला छात्रवृत्ति चयन समिति से अनुमोदित सूची प्राप्त नहीं हुई है। जिन–जिन जिलों से विहित प्रपत्र एवं सी0डी0 नहीं भेजा गया है उन्हें निदेश दिया गया कि विकास मित्रों/प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से उसका सत्यापन कराकर छात्रवृत्ति चयन समिति से अनुमोदित कराकर तुरंत भेजा जाय। अगर आदर्श आचार संहिता के कारण जिस क्षेत्र के विधायक रिपर्जेन्ट नहीं करते हैं, उनके बिना ही छात्रवृत्ति चयन समिति की बैठक कर ली जाए एवं प्रतिवेदन मुख्यालय को 10 दिनों के अन्दर भेजा जाए, ताकि मुख्यालय स्तर से छात्रवृत्ति की राशि तुरंत निर्गत किया जा सके। सभी जिला कल्याण पदधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों द्वारा राज्य के बाहर जाकर शिक्षण संस्थाओं की जाँच की गई है, उसके लिए उन्हें संबंधित जिला से यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाना है। अगर किसी जिला में यात्रा भत्ता मद में राशि पर्याप्त नहीं हो तो उसका आकलन कर एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय से आवंटन प्राप्त करने हेतु मांग पत्र भेजा जाय, ताकि आवंटन दिया जा सके।

(अनुपालनः– जिला कल्याण पदाधिकारी / प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण)

5–<u>दशरथ माँझी कौशल विकास योजनाः–</u>

दशरथ माँझी कौशल विकास योजना के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में दशरथ माँझाी कौशल विकास योजना के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है या नहीं इसकी जाँच/सत्यापन हेतु सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया है। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि इसके लिए अपने–अपने जिलों में एक प्रभारी पदाधिकारी (नोडल पदाधिकारी) प्रतिनियुक्त कर, उनसे जाँच कराकर प्रतिवेदन मिशन निदेशक को प्रेषित करें। जाँच पदाधिकारी को जाँच हेतु ईंधन के लिए बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत दशरथ मांझी कौशल विकास योजना मद से 1000/–रू0 एवं 1000/–रू0 एस0सी0एस0पी0 के आकस्मिक मद से यानि कुल 2000/–रू0 उनके जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के आधार पर दिया जायेगा। बिहार महादलित विकास मिशन के पत्रांक–2195 दिनांक–15.09.2015 द्वारा सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि प्रत्येक योजना का कैशबुक, इश्यू चेक बुक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, निकासी कैशबुक इत्यादि अद्यतन कर लिया जाय, ताकि विभाग

द्वारा वैधानिक अंकेक्षण (Statutory Audit) कराया जा सके। बिहार महादलित मिशन के स्तर से सभी जिलों को इस आशय का पत्र ई–मेल द्वारा एवं डाक द्वारा भेज दिया गया है। समीक्षा के क्रम में कुछ–कुछ जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड नाजीर द्वारा इसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है।

(अनुपालनः सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/उप निदेशक कल्याण)

<u>अंत में सचिव महोदय द्वारा निम्न दिशा–निर्देश दिये गये :–</u>

(क) निजी संस्थानों/कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि वितरण करने हेतु विहित प्रपत्र में सी0डी0 सहित एवं छात्रवृति चयन समिति से स्वीकृत कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये।

(ख) सामुदायिक भवन निर्माण की राशि का अभिश्रव जो हो चुका है उसका प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजी जाय।

(ग) टैली सॉफ्टवेयर अभी तक सभी जिलों में लागू नहीं किया गया है, उसे तुरंत लागू किया जाय। अगर कहीं कम्प्यूटर की दिक्कत है तो कम्प्यूटर सभी जिलों को उपलब्ध करायी जा रही है।

(घ) जिन–जिन जिलों से विकास मित्र का मानदेय स्टेटमेंट बिहार महादलित विकास मिशन को नहीं भेजा गया है, तो इसका प्रतिवेदन अवलिम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) विकास मित्रों को जो मोबाईल वितरित किया गया है, उन सभी विकास मित्रों का मोबाईल नम्बर सहित प्रतिवेदन भेजा जाय, क्योंकि एक सप्ताह बाद SAS Application का प्रशिक्षण शुरू किया जायेगा।

(च) जिन–जिन जिलों से पोशाक राशि का अभिश्रव विपत्र अभी तक मुख्यालय को प्राप्त नहीं कराया गया है, उसे अविलम्ब प्राप्त कराया जाय।

(छ) रेडियों वितरण का ए0सी0 विपत्र 30 सितम्बर, 2015 तक भेजना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा ए0सी0विपत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारी पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

(एस0/एम0 राजू)
सरकार के सचिव 30/9/15

ज्ञापांक–1/[illegible] 5297 पटना, दिनांक– 1/10/15

प्रतिलिपि–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी उपनिदेशक, कल्याण, बिहार/निदेशक, महादलित विकास मिशन, पटना/सभी सहायक निदेशक (मु0/क0)/उपनिदेशक (मु0)/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– सुश्री रजनीबाला, आईटी मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं इमेल से सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजने हेतु प्रेषित।

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव 30/9/15